ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-11* February-2021
Anthology : The Research

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण (ग्राम पंचायत नष्टिगवाँ के विशेष संदर्भ में)

Analysis Of Political Status of Women In Panchayati Raj System (With Special Reference To Gram Panchayat Nastigawan)

Paper Submission: 05/02/2021, Date of Acceptance: 24/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

दिनेश प्रसाद वर्मा
सहायक प्राध्यापक, ,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बुढ़ार म.प्र., भारत

हरि चरण अहिरवार
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सीधी म.प्र. भारत

सारांश

भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था है। सभ्य समाज की स्थापना से ही मनुष्यों ने जब समूहों में रहना सीखा, पंचायत राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं। औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की वर्तमान शक्ति एवं स्थिति की शर्त ही नहीं बल्कि सूचक भी है तथा महिलाओं के अधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है। महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों सामाजिक आंदोलनों या प्रदर्शनों जैसे औपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी एवं अन्य स्तरों पर व्यवस्था में भागीदारी द्वारा ही उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

The basic basis of the system of Indian democratic decentralization is the Panchayati Raj system. Right from the inception of a civilized society, when humans learned to live in groups, the ideals and basic principles of Panchayat Raj have developed in its consciousness. The participation of women in formal political institutions is not only a condition of the current power and status of women but also an indicator and is also necessary to promote the rights and development of women. It is not enough for women to participate in formal political activities such as elections or political parties social movements or demonstrations, but they can be strengthened only by political participation at the local level and participation in the system at other levels.

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, स्त्री–पुरूष समानता, महिला सशक्तीकरण।
Panchayati Raj System, Gender Equality, Women Empowerment.

प्रस्तावना

ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का अध्ययन न केवल वहाँ की महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति से किया जाता है बल्कि उस देश का भविष्य भी इसी से निर्धारित होता है। महिलाएँ जो किसी भी देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं बिना उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, भागीदारी के उस देश के विकास एवं दीर्घ उत्तरजीविता की कल्पना नहीं कर सकते।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ की आधी जनसंख्या शक्ति केवल रसोई तक सीमित रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में विभिन्न नियमों व विनियमों के माध्यम से लैंगिक समानता परिकल्पित किया गया कि ये नियम और अधिकार स्वतः देश की महिलाओं के राजनीतिक विकास में परिणत हो जाऍंगे। परन्तु राजनीति में महिलाओं की अधिकारिता के मुद्दे की समाज में उनकी सामान्य अवस्था से पृथक करके नहीं देखा गया। अतः उनकी विशाल जनसंख्या के बावजूद महिलओं को राजनीतिक व्यवस्था में दोयम दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित है और इस शासन व्यवस्था में बहुमत का शासन होता है। महिलाओं की लगभग आधी जनसंख्या की उपेक्षा करके भारतीय संविधान के

समाजवादी, समतावादी तथा लोकतांत्रिक ढाँचे के अन्तर्गत राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता।

शोध–पत्र के उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था में नारी विकास के बाधक तत्वों को दूर करना ताकि परिवार, समाज और राष्ट्रनिर्माण को सुदृढ़ किया जा सके।
2. महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को ऊँचा उठाना।
3. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना।
4. पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का पता लगाना।
5. पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला नेतृत्व का विकास करना।
6. पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक स्तर पर जनजागरूकता फैलाने में महिलाओं के योगदान की समीक्षा करना तथा
7. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता की परिकल्पना को उजागर करना ही इस शोध–पत्र का उद्देश्य है।

विश्लेषण

भारतीय संविधान में 73वां 74वां संशोधन 1993 द्वारा सत्ता के निम्न तल पर शक्ति–संरचना और निर्णय निर्माण में महिलाओं की भूमिका का निर्धारण करना एक सकारात्मक एवं सार्थक सोच है। इस संशोधन द्वारा पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण द्वारा महिला सशक्तिकरण के पीछे तर्क है– सार्वजनिक रूप से महिलाओं की दृश्यमनता एवं विद्यमानता द्वारा महिला नेतृत्व का विकास। बाविस्कर ने 73वें संशोधन को मूक क्रान्ति की संज्ञा दी है, जो उत्तरोत्तर महिला सशक्तिकरण के रूप में मुखर हो रही है। नाममात्र की प्रतिनिधि, छाया–प्रतिनिधि, प्राक्सी प्रतिनिधि, सरपंच पति इत्यादि प्रतिगामी शब्दांशों के प्रयोग के बावजूद महिलाओं के राजनैतिक जागरूकता के स्तर एवं राजनैतिक सहभागिता के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार आया है। पंचायत चुनावों के प्रारम्भिक चरण 1995–2000 में कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे कतिपय प्रांतो में महिला प्रतिनिधियों की संख्या आरक्षित 1/3 पद संख्या की तुलना में अधिक रहा है। महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सर्व महिला पंचायत के गठन के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो महिलाओं की बढ़ती राजनैतिक जागरूकता के स्तर को स्पष्ट करते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के न्यून समर्थन, आर्थिक संसाधनों के अभाव, निर्णय निर्माण में महिलाओं की न्यून भूमिका राजनीति के अपराधीकरण तथा धन–बाहुबल का प्रयोग जैसी विसंगतियों के बावजूद महिलाओं में अधिकारों एवं शक्ति संरचना में सहभागिता की जिजीविषा प्रस्फुटित हो रही है। प्रस्तुत शोध–पत्र रीवा जिले के जवा तहसील में स्थित ग्राम पंचायत नष्टिगवाँ में महिलाओं की भूमिका, उनकी सहभागिता का स्तर जागरूकता स्तर तथा निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका के अध्ययन पर आधारित है। शोध पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा 73वें 74वें संशोधन के पश्चात् संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता, निर्णय निर्माण में स्वायत्तता, बाह्य सामाजिक राजनैतिक आर्थिक तथा दोहरे घरेलू दायित्वों का उनकी सहभागिता तथा निर्णय निर्माण क्षमता पर इनके प्रभाव पर अध्ययन केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए जवा तहसील के ग्राम पंचायत नष्टिगवाँ का चयन किया गया है। अध्ययन की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समस्या के अनुरूप ग्राम पंचात का चयन स्तरीकृत सोद्देश्यपरक तकनीक द्वारा समंको का चुनाव किया गया है जिसके द्वारा एकत्रित तथ्यों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक–1

क्र.	ग्राम पंचायत में महिलाएँ सरपंच/पंच के लिए चुनाव लड़ती हैं।	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	55	55
2	नहीं	45	45
	योग	100	100

उपरोक्त तालिका क्र.1 के प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 55 प्रतिशत महिलाएँ ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए या पंच पद के लिए सहभागी होती हैं, तथा 45 प्रतिशत महिलाएँ न तो सरपंच पद के लिए न ही पंच के पदों के लिए चुनाव में सहभागी होती हैं इससे यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है।

तालिका क्रमांक–2

क्र.	ग्राम पंचायत में महिलाओं की सहभागिता किस रूप में होती है।	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	मतदाता के रूप में	65	65
2	प्रत्याशी के रूप मे	35	35

सूचनादाताओं की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि 65 प्रतिशत महिलाएँ मतदाता के रूप में भाग लेती हैं तथा 35 प्रतिशत महिलाएँ प्रत्याशी के रूप में भाग लेती हैं। अतः वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था का अत्यधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है।

तालिका क्रमांक–3

क्र.	ग्राम पंचायत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन।	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	65	65
2	नहीं	35	35

तालिका क्रमांक–3 के प्राप्त निष्कर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार 65 प्रतिशत हुआ है तथा 35 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण के कारण सैद्धांतिक रूप से शक्ति महिलाओं के हाँथों में आ गई है, परन्तु यह भी कि आज पुरूष ही सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखे हुए है। अज्ञानता और अनुभवहीनता, पुरूषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं में जागरूकता लाई जाये। उनको राजनीतिक जानकारी से अवगत करवाया जाए। जहॉ तक सम्भव हो उन्हें नई भूमिका निभाने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय–समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी दी जाए तभी वे ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएँ बना सकेंगी व विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली एवं उनकी भूमिका पर समय–समय पर मीडिया, पत्र–पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए व रेडियो, टेलीविजन प्रसारणों में वार्ताओं तथा विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था से देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्व विदित है कि केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसद में विचारार्थ रखा गया है जो आज नहीं तो कभी न कभी पारित होकर पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तब भारतीय संविधान में वर्णित समानता, न्याय के आदर्श पूरे होंगें और महिलाएँ सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पायेंगी। नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता कर सकेंगी जिससे एक सशक्त समाज व देश के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंह, डी.आर., पंचायतीराज एण्ड रूरल आर्गेनाइजेशन, दिल्ली।*
2. *आप्टे, प्रभा, 1996, भारतीय समाज में नारी, क्लासिंग पब्लिसिंग हाऊस, जयपुर।*
3. *शिवालिंगा, प्रसाद वी, पंचायत एण्ड डेवलेपमेंट, नई दिल्ली।*
4. *देशाई, नीरा, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।*
5. *आहुजा, राम, 1999, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर।*
6. *अल्टेकर, ए.एस., द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीलाल, वाराणसी।*
7. *दुबे, अशोक कुमार, 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा–हिल कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।*
8. *कटारिया, डॉ सुरेन्द्र, 2013 भारतीय लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।*
9. *वर्मा, मुकेश कुमार, 2013, भूमण्डलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण, प्वाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।*
10. *जोशी, पुष्पा, 1988, गाँधी ऑन वोमेन, सेन्टर फार वोमंस डेवलपमेंट स्टडीज , दिल्ली।*